

R-41817

सू. म. लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय,
(भारत सरकार),
विमान भवन, राजकी भवन, पोलवारा आसपास रोड,
नई दिल्ली-110011

MSME

(MICRO, SMALL, & MEDIUM ENTERPRISES)

MINISTRY OF MICRO, SMALL, & MEDIUM ENTERPRISES
Government of India
Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road,
New Delhi-110011

Micro, Small and Medium Enterprises

लघु एवं मध्यम उद्यम

4775
31/7/09 क्र.सं.28

Ph. EPARX-23022220, 23022211, 23022212, 23022202 FAX: - (91-11)-23062315, 23061726, 23061068, e-mail:- dc-msme@nic.in, dcmsme@dcmsme.gov.in

DD(Ss)

5(6)/2/2009-MSME POL

Dated 21.7.2009

Subject:- Categorization of activities under manufacture or service under the
MSMED Act 2006 -reg.

30 JUL 2009

References were received by this office for clarification on categorization of activities under manufacturing or service. These were examined under the provisions of MSMED Act 2006 and it is clarified:

- A) Activities considered as manufacturing:
- Separation of iron scrap from slag pots.
 - Generation of electricity through windmill*.

(* the activity was earlier classified as service activity vide this office letter No. 5(2)/(1)/2008 MSME Pol. dated 4.11.2008, however, in the light of the amendment in the definition of the manufacturing enterprises vide notification No. S.O.199(E) dated 16.1.2009, the activity is re-classified a manufacturing activity under MSMED Act 2006.)

- B) Activities considered as Service:

- Educational Institutions
- Development of Software and providing software services

2. This supercedes all earlier clarifications issued in this regard.

Yours faithfully,

P.K. Sinha
(P.K. Sinha)

Dy. Director (MSME Pol.)

To

- 1) Principal Secretaries/ Secretaries, I/c of matters of MSMEs, All States/UTs,
- 2) Chairman, NABARD, Mumbai,
- 3) Chairman & Managing Director, SIDBI, Lucknow,
- 4) Chairman, Indian Bank Association, Mumbai,
- 5) Dy. Governor, RBI, Mumbai,
- 6) Chairman & Managing Directors, Commercial Banks and Financial Institutions including State Financial Corporations as per mailing list.
- 7) Chairman & Managing Director, NSIC, New Delhi,
- 8) Commissioner/Director of Industries/ I/c of matters of MSMEs, All States/UTs.
- 9) Director/Dy. Director, I/c MSME DIs/ Br. MSME DIs, All States/UTs,
- 10) President, Associations of MSMEs, as per mailing list.
- 11) President, ICAI, P.B. No. 7100, ICAI Bhavan, IP Estate, New Delhi-110104
- 12) CEO, Credit Guarantee Fund Trust for MSEs, 7th Floor, SME Development Centre, C-11, G Block, Bandra, Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-51

कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन,
तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।

कमांक: एफ 15 (1) आयु.उ./ई.एम.अनु./एमएसएमई -नीति/2009 दिनांक: 6/8/2009
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।
2. सहायक निदेशक/जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग उप केन्द्र, समस्त।
3. फॉक्शनल अधिकारी (मुख्यालय) समस्त।
4. मास्टर फाइल

P.K. Sinha
संयुक्त निदेशक, उद्योग

August 04, 2009

सं० 5(6)/2/2009-एम एस एम ई नीति

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

विकास आपुर्क(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)का कार्यालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110108

दिनांक 21 जुलाई 2009

विषय: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत क्रिया-कलापों का विनिर्माण या सेवा के अंतर्गत वर्गीकरण ।

इस कार्यालय को क्रिया-कलापों को विनिर्माण या सेवा के अंतर्गत वर्गीकरण पर स्पष्टीकरण के लिए संदर्भ प्राप्त हुए हैं । इन सभी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत जीवने के उपरांत यह स्पष्ट किया जाता है:

A) Activities considered as manufacturing:

i) Separation of iron scrap from slag pots.

ii) Generation of electricity through windmill*.

(* the activity was earlier classified as service activity vide this office letter, No. 5(2)/(1)/2008 MSME Pol. dated 4.11.2008, however, in the light of amendment in the definition of the manufacturing enterprises vide notification No. S.O.199(E) dated 16.1.2009, the activity is re-classified a manufacturing activity under MSMED Act 2006.)

B) Activities considered as Service:

i) Educational Institutions

ii) Development of Software and providing software services.

2. यह स्पष्टीकरण पिछले सभी स्पष्टीकरणों का स्थान लेगा ।

(पी०के० सिन्हा)

उप निदेशक (सू०ल०म०उ० नीति)

1. प्रधान सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मामलों के प्रभारी, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ;
2. अध्यक्ष, नावाई, मुखई ;
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी, लाहौर ;
4. अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ, मुखई ;
5. उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, मुखई ;
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वाणिज्य बैंक एवं वित्तीय संस्थान, राज्य वित्तीय निगम सहित-डाक सूचि अनुसार ;
7. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी, नई दिल्ली ;
8. आयुक्त/निदेशक (उद्योग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मामलों के प्रभारी, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ;
9. निदेशक/उपनिदेशक प्रभारी, एमएसएमई डी आई/ शाखा एमएसएमई डी आई, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ;
10. अध्यक्ष, एमएसएमई एसोसिएशनस, डाक सूचि अनुसार ;
11. अध्यक्ष, आई सी ए आई, पी० ब० न० 7100, आई सी ए आई भवन, आई पी इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली - 110104
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कंस्ट्रिक्ट मटेरियल फंड ट्रस्ट फार एग एग इन्, अवी एम्प्लू, एग एग ई विकास केन्द्र, सी-11, जी ब्याक, थोडा-कुला कमलेश्वर, वांदा (पूर्व), मुखई-51